

## **Regarding issues pertaining to ownership rights of properties in the UT of Chandigarh**

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है और वह सीधे तौर पर केन्द्र सरकार के अधीन आता है। चंडीगढ़ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के मसले हैं, जो पिछले 25 वर्षों से लंबित हैं। मैं उन मसलों को आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ जैसे जो ऑनरशिप राइट्स हैं और प्रॉपर्टी की शेयर बाय सेल है, उसके ऊपर अवैध तरीके से रोक लगी है। लोग जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन बस्तियों में रहते हैं, उनके मालिकाना हक का मामला पिछले 25 वर्षों से लंबित है। 22 गांव, जिनकी धरती के ऊपर चंडीगढ़ बसा है, उसमें लाल डोरे को खत्म करने का जो मसला है, वह पिछले 25 वर्षों से लंबित है। लोगों ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जो नीड बेस्ड चेंजेस किए हैं, उसका मसला भी पिछले दो दशकों से लंबित है। ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के कई मसले हैं, जो भी काफी समय से लंबित हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि शायद सरकार ने 12 दिसम्बर को इन मसलों के ऊपर गृह मंत्रालय में कोई बैठक रखी है। मेरा अनुरोध यह है कि ये 25 सालों से जो लंबित मामले हैं, उनका कोई न कोई समाधान करके लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए।